न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया I.A.S.

प्रकरण संख्या –34 / 2026 (आव0व0अधि0)

GCMSNO. 2026/144

सरकार जर्ये प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा

––प्रार्थी.

वनाम

गणेश स्वीट्स प्रो0 ललित कुमार पुत्र वृजमोहन मित्तल निवासी इटावा जिला कोटा

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के तहत जब्तशुदा 5 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत् ।

उपस्थितः–

1 पेरोकार रसद

2 अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांकः–19.05.2026

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी के आदेशानुसार गठित प्रवर्तन दल द्वारा दिनांक 20.2.2026 इटावा क्षैत्र में स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठान फर्म गणेश स्वीट्स का औचक निरीक्षण एवं जांच कार्य संपादित किया गया । निरीक्षण के समय प्रतिष्ठान पर ललित कुमार पुत्र वृजमोहन मित्तल उपस्थित पाए गये । निरीक्षण के दौरान उक्त मिष्ठान भंडार के निमार्ण ईकाई / रसाई में घरेलू उपयोग हेतु निर्धारित एचसीएल कंपनी के 5 अदद एलपीजी गैस सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक रूप से मिष्ठान आदि बनाने के कार्य में किया जाना पाया गया । उपस्थित व्यक्ति ललित कुमार से उक्त सिलेंडरों के उपयोग एवं कब्जे के संबंध में वैध दस्तावेज, लाईसेंस अथवा क्रय विल प्रस्तुत करने हेतु कहा गया जिस पर उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया और न ही कोई वैध प्रलेख प्रस्तुत किया गया । पूछताछ पर आरोपी द्वारा स्वीकार किया गया कि इन घरेलू सिलेंडरों का उपयोग उनके द्वारा व्यावसायिक लाभ हेतु लिया जा रहा था । उक्त कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है । अतः उक्त 5 अदद एचसीएल कंपनी के घरेलू गैस सिलेंडरों को, जिनमें कुल 27 किलोग्राम 300 ग्राम गैस भरी हुई थी, मौके पर जब्त कर कब्जे राज लिया गया । सुरक्षा की दृष्टि से एवं उक्त वस्तु के ज्वलनशील होने के कारण जब्तशुदा माल को सुपुर्दगीनामा के माध्यम से दिनेश मीणा पुत्र रामप्रताप मीणा निवासी केशवपुरा इटावा प्रतिनिधि नीमसरा इंडेन गैस को आगामी आदेश तक सुरक्षित रख रखाव हेतु सुपुर्द किया गया ।

2. जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों का विवरण निम्न प्रकार है–

क्र. सं.	सरकारी तेल कंपनी का नाम	सिलेण्डर का एस आर क्रमांक	सिलेण्डर पर एलपीजी का उपदर्शित मानक भार / क्षमता किग्रा	खाली सिलेण्डरों का उपदर्शित भार / टेयर वेट किग्राम में ।	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एलपीजी किग्राम में ।	शुद्व गैस का भार (6–5) किग्राम में	सील्ड / अनसील्ड
1	HPCL	226588	14.2	15.6	24.8	13.2	अनसील्ड
	HPCL	735484	14.2	15.9	15.9	0.0	अनसील्ड
	HPCL	375144	14.2	15.4	29.0	13.6	सील्ड
	HPCL	880681	14.2	15.5	15.9	0.4	अनसील्ड
	HPCL	387509	14.2	15.9	16.0	0.1	अनसील्ड

उपरोक्त वर्णित जब्तशुदा वस्तुएं जो कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर है, का व्यावसायिक उपयोग करना जनहित एवं सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर उल्लंघन है । अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के अंतर्गत उक्त 5 घरेलू गैस सिलेंडरों को मय गैस राजसात करने का आदेश प्रदान करें ।

3. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी स्वयं उपस्थित, अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है । पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी को सुना गया ।
4. पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दोहराया है ।
5. अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया है कि मै ललित कुमार पुत्र बृजगोपाल मित्तल, निवासी इटावा कोटा, एक छोटे स्तर पर मिठाई एवं नाश्ते की दुकान का संचालन करता है । दिनांक 20.2.2026 को की गई जांच के दौरान मेरी दुकान से 5 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए, जिसके संबंध में यह स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर रहा हूँ । उक्त 5 सिलेंडरों में से केवल 3 सिलेंडर मेरे स्वयं के थे, जबकि शेष 2 सिलेंडर मेरे परिचितों / मिलने वालों के थे, जो अस्थायी रूप से मेरी दुकान पर रखे गये थे, चूंकि गैस एजेंसी की डिलीवरी गाडी मेरी दुकान के सामने ही आती है, इसलिए आस पास के लोग सुविधा के लिए अपने सिलेंडर भी वहीं उतरवा लेते है और इसी कारण वे सिलेंडर मेरी दुकान पर रखे हुए थे । मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उक्त सिलेंडरों का किसी भी प्रकार से अवैध या व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा रहा था, यह केवल एक परिस्थितिजन्य स्थिति थी, जिसे गलतफहमीवश व्यावसायिक उपयोग मान लिया गया । मेरा किसी भी प्रकार से नियमों का उल्लंघन करने का कोई उद्देश्य नहीं था । साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि उक्त सभी 5 सिलेंडरों का लेखा जोखा (डायरी) मेरे पास उपलब्ध है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विधिवत प्राप्त किए गए थे । मैं सदैव कानून का पालन करने वाला नागरिक हूँ और भविष्य में इस प्रकार की कोई स्थिति उत्पन्न न हो इसका पूर्ण ध्यान रखूंगा । अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरे विरूद्ध की गई कार्यवाही मे सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए जब्त किए गए सिलेंडरों को वापस करने की कृपा करें एवं मुझ पर किसी प्रकार की कठोर कार्यवाही न की जाए ।
6. हमने पेरोकार सरकार की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया । पेरोकार सरकार का कथन है कि राज्य सरकार द्वारा घरेलू उपयोग हेतु अनुदानित दर पर उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध संग्रहण एवं दुरूपयोग करने से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 की धारा 3/7 के अंतर्गत दण्डनीय अपनाध की श्रेणी मका मानते हुए जब्तशुदा कुल 05 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.02 किग्रा क्षमता) को मय गैस के राजसात करने हेतु निवेदन किया है .। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में कथन किया है कि जब्तशुदा 5 गैस सिलेंडरों में से 3 उनके स्वयं के व 2 परिचितों के थे, तथा गैस एजेंसी की गाडी उनकी दुकान के सामने आने से गैस सिलेण्डर वहीं पर उतरवा लेते है, इसी आशा के साथ सिलेंडर दुकान पर रखे हुए थे, तथा यह भी निवेदन किया है कि उक्त सिलेण्डरों का कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा रहा था, तथा भविष्य में इसका ध्यान रखने का वचन देते हुए जब्तशुदा सिलेण्डर वापस सुपुर्दगी में देने का निवेदन किया है । अप्रार्थी द्वारा जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों की काला बाजारी करना जाहिर नहीं आया है । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं परिस्थितियों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर जब्तशुदा गैस सिलेण्डर वापस अप्रार्थी को लौटाया जाना उचित प्रतीत होता है ।
7. परिणामतः प्रार्थी द्वारा जब्तशुदा गैस सिलेण्डर 05 घरेलू गैस सिलेण्डर है, जिनमें से 3 स्वयं के व 2 अन्य परिचितों के बताये गये है तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं अप्रार्थी की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर जब्तशुदा गैस सिलेण्डर वापस अप्रार्थी को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है । जिला रसद अधिकारी कोटा को आदेश की प्रति पालनार्थ भेजी जावें ।
8. निर्णय आज दिनांक 19 .05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा